तारीख हुक्म	हुक्म या कायवाही इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकान जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
5.08.19	वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी वकील ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी के तहत प्रकरण को वापिस लेने एवं पुनः प्रकरण प्रस्तुत करने हेतु प्रस्तुत किया जिसके तथ्य इस प्रकार है कि अधीक्षक डाकघर धौलपुर मंडल धौलपुर द्वारा एसीबी शाखा सीबीआई जयपुर में दर्ज की गई एफआईआर संख्या 14/17 तारीख 29.09. 2017 अन्तर्गत धारा 120बी, 409/420, 467, 468, 471 आईपीसी एवं धारा 13(2) r/w 13(1) (सी) एवं (डी) है। न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 3/19 में वसूली अकेले अप्रार्थी श्री बहादुरसिंह से न की जाकर अभियुक्तगण श्री बहादुरसिंह तथा श्री पंकज कुमार सिंघल दोनो सह अपराधीगणों से दुर्विनियोजन की राशि 15,78,180/– रूपये मात्र मय दण्ड ब्याज की वसूली जानी है। इसी प्रकार एफआईआर संख्या 15/17 में अकेले अप्रार्थी संख्या रघुवरदयाल शर्मा से वसूली ना की जाकर श्री रघुवरदयाल शर्मा एवं श्री पंकज कुमार सिंघल अभियुक्त के विरूद्ध दुर्विनियोजन की राशि 15,85,180 रूपये मात्र मय दण्ड ब्याज की वसूली जानी है। उपरोक्त प्रकार से डाक विभाग द्वारा कुल राशि 31,63,910 की वसूली की जानी है तथा उक्त राशि की वसूली के लिए पृथक प्रकरण दायर किया जाकर अकेले अप्रार्थी से वसूल किये जाने की आवश्यकता नहीं रहती है और ना ही अप्रार्थी के विरूद्ध अलग से प्रकरण दर्ज करने वसूली किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। उपरोक्त प्रकार की वसूली सम्बन्धी राशि की सही स्थिति के बाबजूद सहवन तथा हिसाब– किताब की भूल से 31,63,910/– की वसूली का प्रकरण श्री पंकज कुमार सिंघल के विरूद्ध पृथक से प्रकरण संख्या 5/19 गलत प्रकार से दायर कर दिया गया है, क्योंकि प्रार्थी डाक विभाग के द्वारा कुल राशि 31,63,910 की वसूली जानी है, जो अकेले श्री पंकज कुमार सिंघल से ना की जाकर एसीबी शाखा सीबीआई जयपुर में दर्ज एफआईआर संख्या 14/17 के अभियुक्तगण श्री बहादुरसिंह एवं श्री पंकज कुमार सिंघल तथा संख्या 15/17 के अभियुक्तगण श्री रघुवरदयाल शर्मा एव श्री पंकज कुमार सिंघल से की जानी है। जो दोनो प्रकरण संख्या 3/19 व 4/19 विरूद्ध उनवानी कमशः रघुवरदयाल व बहादुरसिंह की राशि से वसूल हो जाती है, उक्त राशि की अलग से अकेले श्री पंकज कुमार सिंघल से वसूल किये जाने की आवश्यकता नहीं रहती और ना ही प्रकरण 5/19 का न्यायालय में वसूली हेतु चलाये जाने की आवश्यकता रहती है। इसलिए प्रकरण को वापिस लेने की अनुमति दिये जाने का निवेदन किया है। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि सहवन तथा हिसाब– किताब की भूल के कारण उक्त प्रकरण गलत प्रकार से दर्ज हो गये है। अतः प्रार्थना पत्र वापिस लेने की अनुमति दी जावे।	

नेहा गिरि
जिला कलक्टर धौलपुर

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रकरण को वापिस लेने की अनुमति के आदेश दिये जाते है। न्यायालय में कोई भी प्रकरण सही तथ्यों के साथ पेश करना प्रस्तुतकर्त्ता का दायित्व है। किन्तु इस प्रकरण में प्रार्थी द्वारा सही तथ्यों के साथ प्रकरण प्रस्तुत नहीं कर अपने कर्त्तव्यों के प्रति लापरवाही की है। अतः प्रार्थी (अधीक्षक डाकघर धौलपुर) को सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। नम्बर से कम हो।

नेहा गिरि
जिला कलक्टर धौलपुर